प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 67/ 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को अपने कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान अथवा कार्यालय में बैठे कर शामिल हो सकते हैं।

3. इस पहुंच कार्यक्रम में झारखंड राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों, और सरकार के अन्य अधिकारियों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलूओं के संबंध में अर्थात् प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), डाटा सेवाओं, अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, आदि के संबंध में उन्हें प्रदत्त अधिकारों के बारे में शिक्षित किया गया। उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के माई–स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई–कॉल ऐप, डीएनडी 2.0 ऐप आदि जैसे विभिन्न मोबाइल एप्स के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी प्रदान की कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को टावर लगाने से जुड़ी धोखाधड़ी और इससे किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया।

5. उपभेक्ताओं को प्रसारण और केबल टेलीविजन विनियमों (दिनांक 01 जनवरी, 2020) के हाल के संशोधन तथा उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई जैसे 1) कम एनसीएफ के साथ अधिक चैनल, 2) एक से ज्यादा टेलीविजन वाले घरों में दूसरे और अतिरिक्त टेलीविजन कनेक्शन के लिए एनसीएफ में 40 प्रतिशत की छूट, 3) बुके के संबंध में स्पष्टता, 4) दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन आदि के लाभ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 25 जून को उपभोक्ताओं के लाभ हेतु एक चैनल चयन एप भी आरंभ किया ताकि उपभोक्ता अपने सब्सक्रिप्शन को देख सकें, चैनलों को जोड़/ हटा सकें तथा अपनी पसंद का इष्टतमीकरण कर सकें। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो (जोकि यू– टयूब पर भी उपलब्ध है) उपभोक्ताओं के लाभ हेतु दिखाया गया।

5. 'इंटरैक्टिव' सत्र के दौरान, प्रतिभागियों के अनेक प्रश्नों के उत्तर श्री सौविक कुमार दास, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और उनके दल द्वारा दिए गए। उपभोक्ताओं द्वारा उजागर की गई कतिपय समस्याओं का टीएसपी के प्रतिनिधियों ने भी उत्तर दिया।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011–23210990 अथवा ई–मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।